मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-जुलाई, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2004 (श्रावण 6, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघव जी,वित्त मंत्री,भारत के संविधान के अनुच्छेद - 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च,2003 को समाप्त वर्ष (सिविल) पटल पर रखेंगे.

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, समाज कल्याण मंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (संख्यांक 1 सन् 1996) की धारा-65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, निःशक्त जन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगी.

(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री हरिवल्लभ शुक्ला, सदस्य, शिवपुरी जिले के पिछोर-चंदेरी रोड स्थित ग्राम बामौर कलां में लोक निर्माण विभाग द्वारा मकान तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पिपरई से रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4.वक्तव्य

(1) चौधरी चन्द्रभान सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री, दिनांक 14 जुलाई,2004 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 3588) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, वन मंत्री, दिनांक 5 जुलाई,2004 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्रमांक 2153) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघव जी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2004 (क्रमांक 12 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 27 जुलाई, 2004